राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–45/2022
शंभूनाथ दास बनाम् दलजीत सिंह।

यह वाद श्री शंभूनाथ दास, पिता–स्व0 छोटन दास, पूर्व वार्ड पार्षद–सह–सदस्य जिला योजना समिति, ग्राम–गुरूदेव टोला, वार्ड संख्या–02, थाना+पोस्ट–मोकामा, जिला–**पटना** द्वारा श्री दलजीत सिंह, पिता– स्व0 दिवान सिंह, सरदार भवन, मेन रोड मोकामा, **पटना** (तत्कालीन वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–22, नगर परिषद् मोकामा) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–475–सह–पठित धारा–18(2) के तहत गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित होने के आरोप के आधार पर नगर परिषद्, मोकामा के वार्ड पार्षद के पद से हटाने/निरर्हित करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई में वादी श्री शंभूनाथ दास द्वारा स्वयं अपना पक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री प्रियरंजन द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री संजय कुमार वर्मा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पटना** को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी श्री शंभूनाथ दास द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह के पूर्वज पंजाब राज्य से बिहार राज्य में आये थे। उनके द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों के मिली–भगत से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह के जाति प्रमाण–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उनकी जाति "**चमार (अधर्मी)**" अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त वार्ड संख्या–22 बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार राज्य में आरक्षण के लाभ हेतु अनुसूचित जाति के सदस्यों की अनुसूची बिहार सरकार द्वारा निर्गत की गयी है, जिसमें "**चमार**" जाति का उल्लेख है, परन्तु "**चमार (अधर्मी)**" नामक कोई भी जाति बिहार राज्य में अधिसूचित नहीं है। उनके द्वारा यह भी आयोग को बताया गया कि राज्य में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल वासियों को प्राप्त है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव के संबंध में कोई भी बयान या तथ्यात्मक साक्ष्य आयोग के समक्ष नहीं रखा गया। उनके द्वारा केवल इतना बताया गया कि श्री शंभूनाथ दास द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No. 9143/2018 दायर किया गया है, जो अभी लंबित है।

5. वादी श्री शंभूनाथ दास द्वारा प्रतिवादी के आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, दायर C.W.J.C. No. 9143/2018 को वापस ले लिया गया।

6. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना के पत्रांक–38 / निर्वा0, दिनांक–07.01.2022 एवं पत्रांक–1024 / निर्वा0, दिनांक–27.06.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी–सह–अपर अनुमण्डल पदाधिकार, बाढ़ का पत्रांक–767, दिनांक–08.03.2021 संलग्न है, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् हैः–

''परिवादी श्री शंभूनाथ दास द्वारा श्री दलजीत सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–02, नगर परिषद् मोकामा के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि श्री दलजीत सिंह के द्वारा गलत ढंग से अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र बनाकर वार्ड संख्या–22 के आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा गया एवं निर्वाचित हुए।

इस संबंध मं अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री दलजीत सिंह को पहली बार **''चमार (अधर्मी)''** का जाति प्रमाण–पत्र तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा द्वारा प्रमाण–पत्र संख्या–294, दिनांक–19.01.2007 के द्वारा निर्गत किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोकामा द्वारा प्रमाण–पत्र क्रम संख्या–11, दिनांक–08.02.2017 के द्वारा श्री दलजीत सिंह को **''चमार (अधर्मी)''** का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री दलजीत सिंह को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया था। उक्त जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर ही तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोकामा द्वारा दलजीत सिंह को **''चमार (अधर्मी)''** जाति को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया।

अतः तत्कालीन अंचल अधिकारी, मोकामा द्वारा श्री दलजीत सिंह को निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–11, दिनांक–08.02.2017 नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।

विदित हो कि श्री दलजीत सिंह द्वारा **''चमार (अधर्मी)''**जाति का जाति प्रमाण–पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नगर परिषद् मोकामा अन्तर्गत वार्ड संख्या–22 से वार्ड पार्षद के चुनाव हेतु भाग लिया गया एवं निर्वाचित हुए, इस संबंध में उल्लेखीय तथ्य यह है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्र संख्या–225, दिनांक–16.01.2017 के माध्यम से बिहार राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समेकित सूची निर्गत की गई है(पृष्ठ संख्या–80 से 83 पर संलग्न) उक्त सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिहार राज्य अन्तर्गत **''चमार (अधर्मी)''** जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है।''

7. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना के प्रतिवेदन से यह पाया गया कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा द्वारा श्री दलजीत सिंह को निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–294, दिनांक–19.01.2007 सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र एवं राज्य में अनुसूचित जाति को प्रदत्त आरक्षण के लाभों के अनुरूप नहीं था। अतः मामले को

Apex Fact Finding Body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संकल्प ज्ञापांक–3887, दिनांक–08.11.2007 के आलोक में कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया।

8. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) द्वारा ज्ञापांक–11/आ0जा0–08/2025 सा0प्र0–22441, पटना–15, दिनांक–03.12.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश प्रतिवेदन के पारा–27 एवं पारा–28 में अंकित है, जो निम्नवत् हैः–

''26. अतएव अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षों तथा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सभी तथ्यों/साक्ष्यों तथा दिनांक–18.11.2025 के श्रीं सिंह द्वारा अपने समर्थन में समर्पित बचाव बयान में अंकित तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए, सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया कि श्री दलजीत सिंह, वार्ड पार्षद, मोकामा, वार्ड संख्या–22, नगर परिषद्, मोकामा, जिला–पटना के दादा स्व0 हरि सिंह आजादी के पूर्व ही पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान) से आकर बिहार के मोकामा में बसे हैं तथा इनके सभी भू–अभिलेख में इनकी जाति सिख(पंजाबी) अथवा सरदार जी अंकित है। फलतः श्री सिंह द्वारा चमार(अधर्मी) जाति से संबंधित होने के दावों को कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।''

''27. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–225, दिनांक–16.01.2007 द्वारा उत्तरवर्ती बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समेकित सूची तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–1125, दिनांक–27.01.2021 द्वारा बिहार राज्य हेतु अनुसूचित जाति की अधिसूचित सूची में ''चमार(अधर्मी)'' जाति की प्रविष्टि नहीं है।

उक्त सूची में अंकित जातियों मात्र को ही बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति का लाभ अनुमान्य है।

28. वर्णित तथ्यों एवं प्रावधानों के आलोक में श्री दलजीत सिंह, वार्ड पार्षद, मोकामा, वार्ड संख्या–22, नगर परिषद् मोकामा, जिला–पटना द्वारा ''चमार(अधर्मी)'' जाति के आधार पर बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिए जाने के दावें को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।''

9. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन पर वादी एवं प्रतिवादी का पक्ष जानने हेतु आयोग द्वारा उभयपक्षों अवसर प्रदान किया गया, जिसका सार निम्नवत् हैः–

वादी श्री शंभूनाथ दास द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा लंबे समय से कानून को धोखा दे रहे हैं तथा बिहार राज्य के अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पदों पर निर्वाचन के साथ–साथ अन्य आरक्षण संबंधित लाभ प्राप्त कर रहे है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है। उनके द्वारा वर्ष–2022 में भी गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया था, परन्तु इस बार वह चुनाव हार गये। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आरक्षण का गलत लाभ प्राप्त कर रहे है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गयी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेश तक प्रतीक्षा की जाए।

10. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का निर्णय अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–**

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री दलजीत सिंह (तत्कालीन वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–22, नगर परिषद् मोकामा) के परिजन पंजाब राज्य (पूर्व के पाकिस्तान) से बिहार राज्य में आकर बस गये तथा इनके पूर्वजों के भू–अभिलेखों में इनकी जाति **'सिख(पंजाबी)'** अंकित रहने के बावजूद इनके द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों से मिली–भगत कर अनुसूचित जाति वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया, जबकि वह बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते है। **उनके द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों के मिली–भगत से आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए, वर्ष–2017 में वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–22 नगर परिषद् मोकामा के आरक्षित पद पर विजय प्राप्त की गई।** इस प्रकार उनका यह कृत्य बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–475 का उल्लंघन है, क्योंकि बिहार में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को प्राप्त है।"

विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार **श्री दलजीत सिंह, वार्ड पार्षद, मोकामा, वार्ड संख्या–22, नगर परिषद् मोकामा, जिला–पटना द्वारा "चमार(अधर्मी)" जाति के आधार पर बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिए जाने के दावें को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है।"**

रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (L.P.A. No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक–17.09.2019 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में ऐसे मामलो में जाति निर्धारण हेतु Apex Fact Finding body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग को वाद का निस्तारण करना है।

उल्लेखनीय है कि रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग वाद में पूर्णपीठ द्वारा आयोग के समक्ष आने वाले मामलो को साक्ष्यों के आधार पर दो खण्डों में विभक्त किया गया है:– प्रथमतः वैसे मामले हैं, जो Unimpeachable साक्ष्यों पर आधारित हो, तो ऐसे मामलो के त्वरित निष्पादन या निर्णय पर कोई पाबंदी नहीं है। द्वितीयतः वैसे मामले है, जो Disputed Fact(Impeachable) पर आधारित हो, तो ऐसे मामलो में आयोग सक्षम न्यायालय/प्राधिकार/Fact

Finding body के निर्णय/प्रतिवेदन के उपरांत कार्रवाई करेगा। संगत अंश का पाठ निम्नरूपेण है:–

"Whenever a disputed question of facts and a contentious issue is brought before the Commission as a ground and basis to render a candidate disqualified, the Commission would be required to relegate the parties toa competent court/tribunal or a fact finding body competent to decide such contentious issues after taking evidences and **till such time** the Commission shall not take a decision on such complaint either suo-moto or otherwise." (पेज–217 पारा–01)। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(2) के तहत त्वरित निष्पादन का अनुदेश अंकित है। मामले में नैसर्गिक न्याय के तहत आयोग द्वारा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः इस आधार पर कि प्रतिवादी के द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई है, वाद के निष्पादन को लंबित रखन न्यायोचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही प्रतिवादी धोखाधड़ी से प्राप्त जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर अपन कार्यकाल पूरा कर चूके है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित किसी न्यायादेश से यह आदेश स्वतः प्रभाावित होगा।

(क) उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट है कि श्री दलजीत सिंह की जाति 'सिख (पंजाबी)' है। साथ ही साथ वह बिहार राज्य की मूल निवासी नहीं है और न ही उक्त जाति बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। अतः इन्हें सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों/पत्रों के प्रावधानों के विपरीत निर्गत अवैध जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–22, नगर परिषद् मोकामा, पटना के पद हेतु निर्वाचन में भाग लिया, जबकि उक्त पद राज्य के अनुसूचित जातियों में शामिल बिहार राज्य के मूल निवासियों हेतु आरक्षित था। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–475 के परन्तुक के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद उक्त पद (वार्ड पार्षद) पर निर्वाचन नियमाकूल नहीं था। अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–475–सह–पठित धारा–18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री दलजीत सिंह, तत्कालीन वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–22, नगर परिषद् मोकामा, पटना, को तत्काल प्रभाव से अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नगर निकाय के सभी पदों पर निर्वाचित होने हेतु निरर्हित/अयोग्य घोषित किया जाता है। चूँकि प्रतिवादी वर्ष–2017 के नगरपालिका आम चुनाव में निर्वाचित हुए थे। अतएव वर्तमान में उनको तत्कालीन पद से पदमुक्त किया जाना काल बाधित हो चुका है, परन्तु उक्त आदेश के कारण प्रतिवादी भविष्य में होने वाले निर्वाचनों में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध निर्वाचित होने हेतु अयोग्य रहेगें।

(ख) राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा, तत्कालीन अंचला पदाधिकारी, मोकामा एवं तत्कालीन राजस्व कर्मचारी

प्रतिवादी श्री दलजीत सिंह के पक्ष में अवैध/गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु दोषी हैं। साथ ही साथ दलजीत सिंह द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

अतएव पदेन अध्यक्ष राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय)–सह–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को संकल्प ज्ञापांक–3887, दिनांक–08.01.2007 के कंडिका–3 (ग) के आलोक में गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश, आदेश ज्ञापांक–584, दिनांक–15.02.2023 द्वारा दिया गया था, जिसपर अंतिम कार्रवाई अबतक लंबित है। राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के निर्णय से आयोग का Finding शत–प्रतिशत सही पाया गया है। अतः आयोग के उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन अपेक्षित है।

उक्त स्थिति में जबकि उक्त पदाधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध लगाये आरोप प्रमाणित हो गये हैं, तो इस आदेश की प्रति उनके पैतृक विभाग, अर्थात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के साथ–साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना को पूर्व के आदेश के अनुपालन हेतु प्रेषित कर दी जाए। जिला पदाधिकारी, पटना को आदेश के अनुपालन हेतु अधिकत्तम एक माह का समय प्रदान किया जाता है। इस मामले में किसी प्रकार का विलम्ब अवांछनीय है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना को प्रतिवादी के विरूद्ध गलत शपथ–पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने हेतु एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–45/2022 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भू–अर्जन–सह–अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आदेश अनुपालन हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–45/2022 1555 पटना, दिनांक–15.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, **पटना** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, **पटना** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

15/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी